



2026: AHC: 63347

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 10822/2026

सत्यवान यादव एवं अन्यआवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यविपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता: प्रियंका सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन दिनांक 26.02.2023 के आरोप पत्र और दिनांक 10.04.2024 के संज्ञान/समन आदेश के साथ-साथ मुकदमा अपराध संख्या 225/2022 से उत्पन्न वाद संख्या 1702/2026 (राज्य बनाम सत्यवान यादव एवं अन्य) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो धारा 406, 420, 506, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी, थाना शाहपुर, जिला-गोरखपुर के अंतर्गत विद्वान अपर सिविल जज (एस.डी.-प्रथम), गोरखपुर की अदालत में लंबित है।
3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आरोप पत्र, संज्ञान/समन आदेश और वर्तमान मामले की पूरी कार्यवाही को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि धारा 420 और 406 आईपीसी एक साथ नहीं चल सकतीं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024 10

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एससीसी 690) के मामले में तय किया गया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"38. हमारी दृष्टि में, शिकायत को पढ़ने मात्र से ऊपर बताए गए किसी भी तत्व का पता नहीं चलता है। हम पुलिस के साथ-साथ निचली अदालतों के मन में कानून की एक गंभीर गलत धारणा को दूर करने के लिए केवल इतना कह सकते हैं कि यदि शिकायतकर्ता का यह मामला है कि धारा 405 आईपीसी के तहत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात का अपराध (जो धारा 406 आईपीसी के तहत दंडनीय है) अभियुक्त द्वारा किया गया है, तो उसी समय यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 आईपीसी में परिभाषित और धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय धोखाधड़ी का अपराध भी किया है।

41. केवल अनुबंध के उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात तथा धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन के समय अभियुक्त की मंशा को देखा जाना चाहिए जिसे बाद के आचरण से आंका जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण एकमात्र परीक्षण नहीं है। अनुबंध का केवल उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता जब तक कि लेनदेन की शुरुआत से ही धोखाधड़ी या बेईमानी की मंशा न दिखाई गई हो। इसलिए, यह मंशा ही अपराध का सार है।

43. आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए, गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के समय यानी शुरुआत से ही आपराधिक मंशा आवश्यक है। आपराधिक विश्वासघात में, केवल सुपुर्दगी का प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में, अपराधी को कानूनी रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और वह बेईमानी से उसका गबन कर लेता है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर संपत्ति देने के लिए कपटपूर्वक या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब वह समय आ गया है जब देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे धोखाधड़ी बनाम आपराधिक विश्वासघात के अपराध के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग हैं। दोनों अपराध तथ्यों के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक ही सेट में एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। आईपीसी (अब बीएनएस, 2023) के दो प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना जीवित न रह सकें।”

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने इस आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए स्थापित कानून के प्रस्ताव पर विवाद करने में असमर्थ रहे।
5. चूंकि आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कानूनी मुद्दा उठाया गया है, इसलिए विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को इसके द्वारा समाप्त किया जाता है।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, मामले के रिकॉर्ड और दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलोकन करने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 420 और 406 आईपीसी दोनों एक साथ नहीं चल सकतीं और इस प्रकार, दिनांक 10.04.2024 का संज्ञान/समन आदेश रद्द किए जाने योग्य है। हालांकि दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 23.08.2024 को पारित किया गया है और वर्तमान मामले में अपराध का संज्ञान 10.04.2024 को लिया गया है, फिर भी माननीय शीर्ष अदालत द्वारा कनिष्क सिन्हा और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [2025 एससीसी आनलाइन एससी 443] के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, माननीय शीर्ष अदालत का निर्णय हमेशा 'भूतलक्षी' प्रकृति का होगा जब तक कि निर्णय में स्पष्ट रूप से यह न कहा जाए कि निर्णय भविष्य में प्रभावी होगा।
7. इसके दृष्टिगत, वाद संख्या 1702/2026 (राज्य बनाम सत्यवान यादव एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 225/2022, धारा 406, 420, 506, 467, 468, 471, 120B आईपीसी, थाना शाहपुर, जिला गोरखपुर से उत्पन्न है और विद्वान अपर सिविल जज (एस.डी.-प्रथम), गोरखपुर की अदालत में लंबित है, उसमें पारित दिनांक 10.04.2024 का संज्ञान/समन आदेश रद्द किया जाता है। मामले को दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के आलोक में, यदि आवश्यक हो, तो अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित करने के लिए संबंधित विद्वान न्यायालय को वापस भेजा जाता है।
8. तदनुसार, तात्कालिक आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25 मार्च, 2026

सैफ

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।